प्रश्नः– विभिन्न कार्मिकों को देय धुलाई भत्ते **(WASHING ALLOWANCE)** के सम्बन्ध में जानकारी देवें।

उत्तरः– जिन सरकारी कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर वर्दी की अनुमति प्रदान की गई हैं उन्हें धुलाई भत्ते **(WASHING ALLOWANCE)** की राशि वित्त विभाग के विभिन्न आदेशों के द्वारा स्वीकृत की गई हैं बशर्ते ऐसे कर्मचारियों के कपड़ों को सरकारी खर्च पर नहीं धोया जावें। विभिन्न समयावधि में स्वीकृत की गई धुलाई भत्ते **(WASHING ALLOWANCE)** की राशि का विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र. स.	वित्त विभाग का आदेश क्रमांक	आदेश जारी होने की दिनांक	आदेश लागु होने की दिनांक	धुलाई भत्ते **(WASHING ALLOWANCE)** की स्वीकृत राशि प्रति माह
1	**F.12(1)FD(Gr.2)/-94**	**17-03-1994**	**01-03-1994**	**10 Rs.**
2	**No.F.6(2)FD/Rules/2012**	**25-04-2012**	**01-04-2012**	**50 Rs.**
3	**No.F.6(2)FD/Rules/2012**	**28-03-2013**	**01-04-2013**	**75 Rs.**
4	**No.F.6(2)FD/Rules/2012**	**03-10-2013**	**01-10-2013**	**150 Rs.**
5	**No. F.6(2)FD/Rules/2012**	**03-08-2023**	**01-07-2023**	**180 Rs.**

नोटः– वर्तमान में धुलाई भत्ते **(WASHING ALLOWANCE)** के रूप में रूपए 180 प्रतिमाह देय हैं। वित्त विभाग (नियम अनुभाग) का आदेश क्रमांकः–**No.F.6(2)FD/Rules/2012** दिनांक 03.08.2023 पुलिस, जेल व होम गार्ड विभाग के कार्मिकों पर लागु नहीं होगा।

2. राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के आदेश क्रमांकः–**No.F.6(2)FD/Rules/2012** दिनांक 08.05.2013 के द्वारा **चिकित्सा विभाग के प्रयोगशाला तकनीशियन, जिन्हें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार एप्रन की अनुमति दी गई है, वे भी 28.03.2013 के समसंख्यक वित्त विभाग आदेश के तहत 01.04.2013 से 75 रुपये प्रतिमाह धुलाई भत्ते के हकदार होंगे, जिसमें एप्रन को वर्दी के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी के एप्रन की धुलाई सरकारी खर्च पर न की जाए।** वर्तमान में इन्हें भी रूपए 180 प्रतिमाह धुलाई भत्ते **(WASHING ALLOWANCE)** के रूप में देय हैं।

उमेश कुमार श्योराण
JUNIOR ACCOUNTANT

PAY MANAGER INFO